भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1481

12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास

1481. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास के दौरान की गई साझेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) एयूएससी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आवंटित वित्तीय निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश भर में एयूएससी प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) अनुसंधान और विकास परियोजना को 27 जुलाई, 2016 को अनुमोदित किया था। थर्मल पावर प्लांट के लिए एयूएससी प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के बीच एक संघ (कंजोर्टियम) का गठन किया गया था।

(ख) एयूएससी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वित्तीय निवेश हेतु प्रारंभिक आवंटन निम्नानुसार है:

	प्रारंभिक वित्तपोषण पद्धति	मात्रा (करोड़ रुपए)
क.	केंद्र सरकार के विभाग/एजेंसियां	

	• भारी उद्योग मंत्रालय	900
	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	100
ख.	कंजोर्टियम भागीदार	
	• बीएचईएल	270
	• एनटीपीसी लिमिटेड	50
	• इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर)	234
	कुल	1,554

(ग) और (घ) : इस प्रौद्योगिकी (अनुसंधान और विकास चरण) का विकास कार्य मार्च-2021 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ऊर्जा की भावी मांग, ताप विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और विद्युत मंत्रालय द्वारा मौजूदा पुराने संयंत्रों को प्रतिस्थापित करने की नीति एयूएससी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

***